अंक-6 जनवरी 2019

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषय वस्तु

- सतत जल प्रबंधन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- अध्यक्ष, आई सी आई डी का केंद्रीय जल आयोग दौरा
- राष्ट्रीय परियोजनाएं
- परामर्शी सेवाएं
- रुकनी सिंचाई परियोजना
- एडीबी ऋण समझौता
- उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार पर कार्यशाला
- दूसरी सी डब्लू एम ए बैठक
- सूखे का आकलन
- जलाशय प्रबोधन
- ग्लेशियल झील प्रबोधन
- जल क्षेत्र समाचारों में
- दीर्घा (गैलरी)
- पेंशन प्रबोधन तंत्र
- 30 वां आई टी पी
- सेवानिवृत्ति
- श्रद्धांजलि
- इतिहास- आई सी आई डी, भारत एवं केंद्रीय जल आयोग

संदेश

सैयद मसूद हुसैन
अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

नए साल का स्वागत करते हुए, हम देखते हैं कि बीता हुआ साल जल संसाधन क्षेत्र से जुड़े मामलों में बहुत सी गतिविधियों से परिपूर्ण रहा है. वर्ष 2018 के दौरान, मंत्रालय की सलाहकार समिति ने कुल 1,12,248.88 करोड़ रुपए लागत वाली कुल 24 सिंचाई / बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें से 14 सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाएं से 1.71 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा . 10 स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से लगभग 1.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की रक्षा होगी जिससे करीब 67 लाख की आबादी को लाभ होगा.

संसद के इस शीतकालीन सत्र में लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2018 प्रस्तुत किया गया. यह विधेयक देशभर में निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन , रख-रखाव और इसे सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र का प्रावधान कराता है. दिसंबर 2018 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध के क्रियान्वयन को मंजूरी दी. यह उन राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है जिसके लिए केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान 485.38 करोड रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी.केंद्रीय जल आयोग की वर्तमान निगरानी के अतिरिक्त, परियोजना का प्रबोधन सदस्य, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भी किया जाएगा जिसमें पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर के संबंधित मुख्य अभियंता एवं अन्य अधिकारी शामिल होंगे.

13 दिसंबर 2018 को आई सी आई डी अध्यक्ष इं. फेलिक्स रिइंडर्स की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जल आयोग का दौरा किया. केंद्रीय जल आयोग का आई सी आई डी से इसकी स्थापना काल से ही निकटता से जुड़ाव रहा है. हाल ही में , 2017 के दौरान आई सी आई डी एवं केंद्रीय जल आयोग ने संयुक्त प्रयास से एक अंतराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जिसने " पाइप्ड सिंचाई नेटवर्क की योजना एवं डिजाइन हेतु दिशानिर्देशों " के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न अधिकारियों ने आई सी आई डी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के रूप में सेवाएं दी है.

केन्द्रीय जल आयोग ने 10-11 दिसंबर 2018 के दौरान चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत आयोजित 'सतत जल प्रबंधन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' के सफल आयोजन में योगदान दिया. पूर्वोत्तर स्थित केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने असम में रुकनी सिंचाई परियोजना के लिए डी पी आर पूर्ण कर लिया है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 891 करोड रुपए है. सिंचाई लाभों को 139% सिंचाई तीव्रता के साथ 17566 हेक्टेयर (सीसीए) के कृष्य कमान क्षेत्र तक विस्तारित किया जाएगा.

केंद्रीय जल आयोग के कई जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को एन ए बी एल द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है और इन प्रयोगशालाओं में जल नमूनों की विभिन्न जाँचों/विश्लेषणओं के लिए वहनीय मूल्य निर्धारण तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई. केंद्रीय जल आयोग ने इन लैबों में विभिन्न जाँचों के लिए मूल्य निर्धारित किए हैं. फिलहाल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से जल नमूने प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है.

वर्ष 2019 के अवसरों,सीखने के अनुभवों और चुनौतियों से भरे होने की संभावना है. वर्ष के प्रारंभिक 2 महीनों में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है. पहले कार्यक्रम में 16-18 जनवरी 2019 के दौरान औरंगाबाद में भारतीय राष्ट्रीय सतही जल समिति, केंद्रीय जल आयोग,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ,वाप्कोस लिमिटेड व आईसीआईडी द्वारा 9वें अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. उसके बाद 13-14 फरवरी 2019 के दौरान भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन होगा. नए वर्ष में स्थाई न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन, विधेयक और नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक पर सक्रियता से विचार होने की संभावना है.

इस संदेश के साथ-साथ, मेरी यह शुभकामनाएं भी हैं कि नव वर्ष 2019 आप सभी के लिए समृद्धशाली एवं खुशियों से भरा हो.

आगामी कार्यक्रम- 16-18 जनवरी '19

2018 में मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

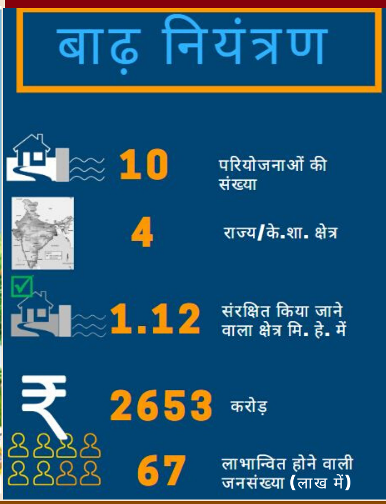

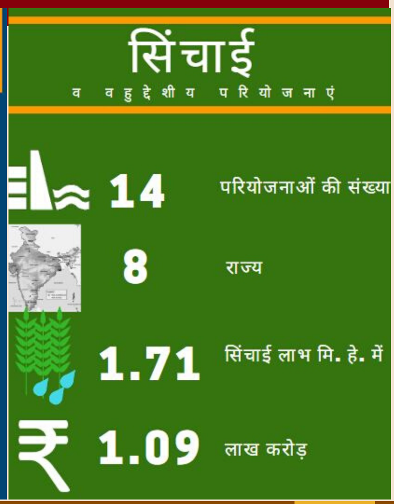

सतत जल प्रबंधन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

दिनांक 10-11 दिसंबर 2018 के दौरान राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में सतत जल प्रबंधन पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा केंद्रीय जल आयोग एवं केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड के तकनीकी सहयोग द्वारा किया गया.

यह सम्मेलन जल संसाधनों के एकीकृत तथा सतत विकास एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित था. इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, श्री आचार्य देवव्रत ने किया. इस कार्यक्रम में भारत एवं अन्य देशों के नामी संगठनों से कई विशेषज्ञ एवं प्रतिनिधि शामिल हुए. इस सम्मेलन में केंद्रीय जल आयोग के कई अधिकारियों ने महत्वपूर्ण तकनीकी सत्रों/पैनल चर्चाओं की अध्यक्षता एवं सह अध्यक्षता की.

श्री सैयद मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने श्री यूपी सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में हुए प्लीनरी सत्र में " भारत में जल संसाधन प्रबंधन पहल" पर व्याख्यान दिया. उन्होंने जल क्षेत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों यथा- मांग में वृद्धि, अपर्याप्त भंडारण क्षमता, भूजल का अति दोहन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन के कारण जल गुणवत्ता में कमी एवं संबद्ध चिंताओं को रेखांकित किया. उन्होंने देश में जल संसाधन क्षेत्र हेतु संस्थागत तंत्र के बारे में विस्तार से बताया. साथ ही पूर्व में किए गए पहल एवं सिंचाई विकास की स्थिति व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हाल के उल्लेखनीय प्रयासों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने प्रस्तावित विधायी सुधारों के माध्यम से सुशासन की आवश्यकता, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नदी बेसिन संस्थाओं की स्थापना एवं आपूर्ति व मांग प्रबंधन के माध्यम से जल प्रबंधन के लिए बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया.

सीडब्ल्यूसी अधिकारियों द्वारा की गई कुछ प्रस्तुतियाँ नीचे दी गई हैं:-

श्री बी पी पाण्डेय, निदेशक (आई एस एम 1), के. ज. आ. ने" जल अभिशासन एवं संघर्ष प्रबंधन - वर्तमान तंत्र की भूमिका" विषय पर एक प्रस्तुति दी . इसमें उन्होंने विभिन्न राज्य पुनर्गठन अधिनियम एवं संस्थागत तंत्र जैसे अंतरराज्यीय जल विषयों के संबंध में आंचलिक परिषदों के अंतर्गत जल , विभिन्न विधानों, प्रावधानों हेतु संवैधानिक प्रावधानों को रेखांकित किया. उनके द्वारा केंद्र में स्थाई जल विवाद अधिकरण हेतु आई एस आर डब्लू डी अधिनियम 1956 में संशोधन हेतु हालिया प्रयासों एवं नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक 2018 पर विस्तार से जानकारी दी गई .

श्री बी पी पाण्डेय, निदेशक (आईएसएम-1), के. ज. आ.

श्री शरद चंद्रा निदेशक, (एफ़एफ़एम), के. ज. आ.

श्री शरद चंद्र, निदेशक (एफ़ एफ़ एम), केंद्रीय जल आयोग ने "सतत बाढ़ प्रबंधन हेतु बाढ़ का पूर्वानुमान- केरल बाढ़ के संदर्भ में" विषय पर एक प्रस्तुति दी. उन्होंने केरल बाढ़ के संदर्भ में बाढ़ संबंधित बड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया. ततपश्चात, केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान, दीर्घकालिक पूर्वानुमान, एकीकृत जलाशय संचालन इत्यादि के लिए किए जाने वाले पहल की भी केरल बाढ़ के संदर्भ में चर्चा की गई.

श्री बी बी साइकिया, निदेशक (ई एम एंड ई आई ए), केंद्रीय जल आयोग ने" जल संसाधन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव" पर एक प्रस्तुति दी. इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जल की महत्वता एवं प्रयोज्यता का उल्लेख किया गया था. इस प्रस्तुति के अनुसार जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण सुरक्षा एवं विकास दोनों के लिए एक साथ प्रयास किए जाएं.

श्री बी बी साइकिया, निदेशक (ईएम), के. ज. आ

अध्यक्ष, आई सी आई डी का केंद्रीय जल आयोग दौरा

13 दिसंबर 2018 को इं. फेलिक्स रिंडर्स, अध्यक्ष, आई सी आई डी एवं श्री ए बी पांड्या, महासचिव, आई सी आई डी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) का दौरा किया. दक्षिण अफ्रीका के श्री फेलिक्स ब्रिट्ज़ रिंडर्स एक पेशेवर अभियंता है जिनका कृषि एवं सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 36 वर्षों का अनुभव है.

इस अवसर पर केंद्रीय जल आयोग ने एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जिसमें आई सी आई डी, केंद्रीय जल आयोग, वाप्कोस इत्यादि द्वारा प्रतिभागिता की गई. इस सत्र के दौरान अध्यक्ष, आई सी आई डी ने " आई सी आई डी विजन 2030- सतत ग्रामीण विकास के माध्यम से गरीबी एवं भूख मुक्त जल संरक्षित विश्व की ओर" का प्रदर्शन किया. इसके बाद ,केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने आई सी आई डी प्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों जैसे आई सी आई डी की भारत में गतिविधियां, राज्य एजेंसियों को प्रदत सहायता ,जल प्रयोग दक्षता इत्यादि पर परिचर्चा की.

श्री फेलिक्स ब्रिटज़ रिंडर्स, अध्यक्ष, आईसीआईडी
13.12.2018 को केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय में

राष्ट्रीय परियोजनाएं

पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध परियोजना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी

रावी नदी पर प्रस्तावित शाहपुरकंडी बांध (एक राष्ट्रीय परियोजना) के कार्यान्वयन का अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा 6 दिसंबर 2018 को किया गया. सिंचाई घटक के शेष भाग के लिए 485.38 करोड की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

पंजाब सरकार दिसंबर 2018 से 3.5 वर्षों में इस परियोजना का कार्यान्वयन करेगी. केंद्रीय सहायता हेतु वित्त पोषण नाबार्ड के माध्यम से दीर्घकालिक सिंचाई निधि के तहत 99 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ए आई बी पी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण वर्तमान तंत्र के अंतर्गत होगा.परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु सदस्य, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर के संबंधित मुख्य अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण शामिल होंगे . परियोजना के लाभ अधोलिखित है:-

- माधोपुर हेडवर्क्स के डाउनस्ट्रीम से पाकिस्तान की ओर रावी नदी के जल अपव्यय को न्यूनतम किया जा सकता है.
- इस परियोजना के पूर्ण होने पर पंजाब राज्य में 5000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता तथा जम्मू व कश्मीर में 32173 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण होगा.
- पंजाब में यू बी डी सी सिस्टम के अंतर्गत 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पानी छोड़ा जा रहा है जिसका कुशलतापूर्ण प्रबंधन किया जाएगा. पूर्ण होने पर पंजाब 206 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगा.

पृष्ठभूमि- जनवरी 1979 में पंजाब और जम्मू व कश्मीर के मध्य रंजीत सागर बांध और शाहपुरकंडी बांध परियोजना के निर्माण के लिए एक द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया जाना था . शाहपुर कंडी परियोजना रावी नदी,रंजीत सागर बांध के 11 कि.मी अनुप्रवाह और माधोपुर हेडवर्क के 8 कि.मी प्रतिप्रवाह पर प्रस्तावित है. प्रारंभ में, परियोजना नवंबर 2001 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई

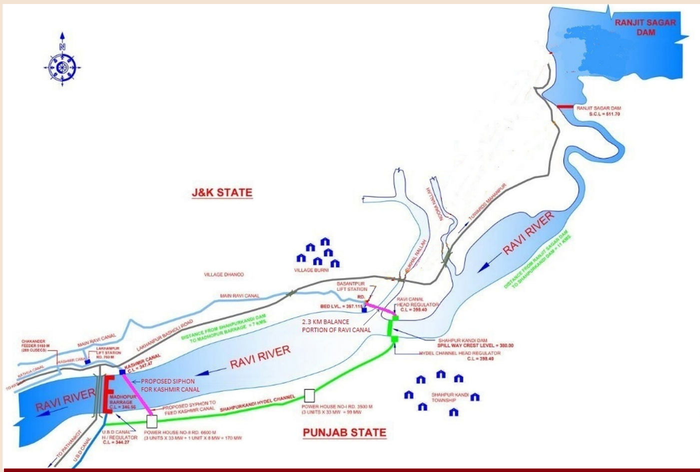

रणजीत सागर बांध, शाहपुरकंडी बांध और माधोपुर बैराज दिखाने की योजना

थी जिसकी अनुमानित लागत 1324.18 करोड रुपए थी जिसे त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत सिंचाई घटक के वित्तपोषण के उद्देश्य से शामिल किया गया था. शाहपुर कंडी बांध राष्ट्रीय परियोजना की संशोधित लागत 2285.81 करोड रुपए को 24 अगस्त 2009 को अनुमोदित किया गया था. हालांकि पंजाब सरकार की ओर से वित्त की अनुपलब्धता और जम्मू व कश्मीर के साथ अंतर्राज्यीय मुदों के परिणामस्वरूप काम में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी. अंततः 8 सितंबर 2018 को पंजाब एवं जम्मू और कश्मीर के मध्य जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में एक समझौता संपन्न हुआ. 31 अक्टूबर 2018 को 2715.70 करोड रुपए का दूसरा वित्तीय संशोधित लागत अनुमान अनुमोदित किया गया जिसमें से 28.61% लागत अर्थात 776.96 करोड रुपए सिंचाई घटकों के लिए एवं 71.39% लागत अर्थात 1938.74 करोड रुपए विद्युत घटक के लिए हैं.

ऊझ बहुउद्देशीय परियोजना, जम्मू व कश्मीर

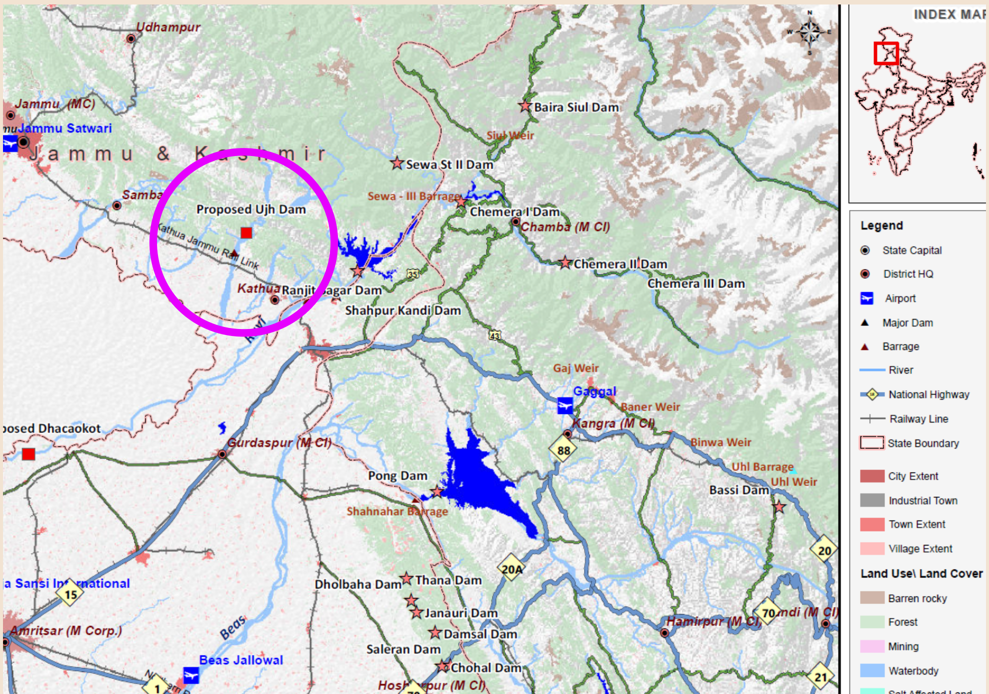

ऊझ बहूद्देशीय परियोजना का मानचित्र

ऊझ बहुद्देशीय परियोजना जम्मू व कश्मीर के कठुआ जिले में ऊझ नदी पर प्रस्तावित है जो रावी नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है. ऊझ नदी में चार अन्य सहायक नदियाँ सुतरखड, दूनरीखड, भीनी एवं तल्यान पंचतीर्थी नामक स्थान पर मिलती है. जिसका नाम इन 5 धाराओं के मिलने के कारण पड़ा है. ऊझ बहुद्देशीय परियोजना,जम्मू व कश्मीर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जैसा कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किया गया था उस पर मंत्रालय की सलाहकार समिति की 131वीं बैठक में विचार किया गया और "सैद्धांतिक" सहमति प्रदान की गई. हालांकि लगभग 41 वर्ग किलोमीटर भूमि के जलप्लावित होने के मुद्दे के कारण समिति ने निर्णय लिया कि केंद्रीय जल आयोग के संबंधित अधिकारियों की एक टीम व अन्य विशेषज्ञ परियोजना स्थल का दौरा करेंगे और कम से कम जलाप्लावन/विस्थापन जिसके साथ न्यूनतम उर्जा के नुकसान एवं सिंचाई लाभ की वैकल्पिक संभावनाएं तलाशेंगे ताकि सिंधु जल समझौते में उल्लिखित पूर्वी नदियों की क्षमता का पूर्णतः उपयोग किया जा सके जैसा कि सिन्धु जल संधि में परिकल्पित है . परियोजना स्थलों का दौरा करने के बाद केंद्रीय जल आयोग टीम ने अपनी रिपोर्ट मई 2017 को प्रस्तुत की

जिसमें बांध में पूर्ण जलाशय स्तर में 6 मीटर तक कमी का सुझाव दिया गया था. उपरोक्त के दृष्टिगत ऊझ बहुउद्देशीय परियोजना के डी पी आर में संशोधन किया गया जिसमें 116 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध का निर्माण करके 0.32 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता के निर्माण का उल्लेख शामिल था. निरीक्षण के उपरांत किशनगंगा परियोजना के आर एंड आर योजना पर आधारित परियोजना का वर्तमान अनुमानित लागत जुलाई 2017 के मूल्य स्तर पर 5850 करोड़ रुपए पहुंच गया है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार विद्युत एवं सिंचाई घटकों की लागत क्रमश: 15.90% एवं 84.10% है. जहाँ तक वैधानिक मंजूरी का सवाल है जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण एवं वन अनुमति तथा आदिवासी कार्य मंत्रालय से आर एण्ड आर अनुमति लेना अपेक्षित है.

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

- 116 मीटर ऊंचा और 420 मीटर लंबा कंक्रीट रॉक फिल डैम
- बायीं तरफ फ्लैंक पर 81 मीटर लंबा ओवर फ्लो स्पिलवे है
- 380 मीटर लंबा विनियमन बैराज
- 36.628 किमी लंबी दाईं मुख्य नहर
- 32.51 किमी लंबी बाईं मुख्य नहर
- लाभान्वित होने वाले जिले- कठुआ और सांबा

परामर्शी सेवाएं - देव सिंचाई परियोजना, ओड़िशा

देव सिंचाई परियोजना (डीआई पी) ओडीशा के मयूरभंज जिले के हाथीबरी गांव के पास बैतरनी नदी की सहायक नदी देव पर स्थित है. बाईं ओर के अंत्याधार(एबटमेंट) पर नीव की खुदाई करने पर एक कर्तन क्षेत्र प्राप्त हुआ. इसके अलावा कर्तन क्षेत्र बांध अक्ष में किंक से मेल खाता हुआ पाया गया. परियोजना अधिकारियों ने इस समस्या के निवारण के सुझाव हेतु केंद्रीय जल आयोग से संपर्क किया.

नॉन ओवर फ्लो भाग की नींव में कर्तन क्षेत्र

केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी, भूवैज्ञानिक, कार्यकारी एजेंसी एवं परियोजना अधिकारियों ने परियोजना स्थल का दौरा किया. इसके अतिरिक्त परियोजना स्थल की स्थिति एवं विभिन्न परीक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि दोनों प्रतिकूलताएं कर्तन क्षेत्र एवं बांध अक्ष में किंक दोनों एक ही स्थान (ज़ोन) में नहीं होंगे . उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सर्वप्रथम बांध अक्ष में प्रस्तावित किंक के स्थान को दाहिने किनारे की तरफ कर्तन क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाए और फिर कर्तन क्षेत्र के डेंटल उपचार का सुझाव दिया गया .

एस एंड आई गतिविधि- रुकनी सिंचाई परियोजना हेतु डीपीआर का कार्य पूर्ण

दिसंबर 2018 में पूर्ण रुक्नी सिंचाई परियोजना के लिए डीपीआर के साथ के. ज. आ. के अधिकारी

रूकनी सिंचाई परियोजना के लिए सर्वेक्षण एवं जांच तथा डीपीआर तैयारी का कार्य भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 'जल संसाधन विकास परियोजना की जाँच' घटक के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग को सौंपा गया है. केंद्रीय जल आयोग ने यह कार्य दिसंबर 2018 तक पूरा कर दिया. रुकनी परियोजना से असम राज्य में सिंचाई, पीने योग्य पानी एवं मत्स्य पालन, पशु पालन एवं मार्ग से जुड़े अन्य लाभ की परिकल्पना की गई है . परियोजना में रुकनी नदी पर 102 मीटर चौड़े गेट वाले बैराज का निर्माण सम्मिलित है. सिंचाई लाभ को 17556 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र तक 139% की सिंचाई तीव्रता तक बढ़ाया जा सकता है. इस परियोजना की अनुमानित लागत रुपए 891.20 करोड़ (नेट) है.

असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए एशियन विकास बैंक (एडीबी) के साथ ऋण समझौता

एशियन विकास बैंक और भारत सरकार के बीच 13 दिसंबर 2018 को 60 मिलियन डॉलर राशि के लिए एक ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ. ट्रांच II ऋण, असम एकीकृत बाढ़ एवं नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन के लिए 120 मिलीयन डॉलर मल्टी ट्रांच फाइनन्सिंग सुविधा का हिस्सा है जिस का अनुमोदन एडीबी के द्वारा अक्टूबर 2010 में किया गया था . यह समझौता नदी तट सुरक्षा कार्य बाढ़ तटबंधों के नवीनीकरण एवं असम में ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े क्षेत्र में समुदाय आधारित बाढ़ प्रबंधन प्रबंधन गतिविधियों को वित्त पोषित (वित्त प्रदान करने हेतु) करने हेतु किया गया है.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य, असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन प्रणाली की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना एवं समुदायों में आपदा की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के साथ पूर्वानुमान के लिए संस्थागत क्षमता और ज्ञान का आधार विकसित करना है. यह ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े पलाशबारी गूमि, काजीरंगा एवं डिब्रूगढ़ की 3 उप परियोजनाओं में संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक संयोजन को वित्तपोषित करेगा. असम एकीकृत बाढ़ एवं नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना के ट्रांच II के अंतर्गत विभिन्न उप परियोजना का मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग में किया गया एवं बाद में 2016 में मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया. गैर संरचनात्मक उपायों में स्थानीय आपदा के प्रति तैयारी को और आपातकालीन प्रतिक्रिया को और मजबूत करने के लिए आपदा प्रबंधन समितियों की स्थापना एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी तथा समुदाय आधारित बाढ़ जोखिम प्रबंध गतिविधियां सम्मिलित हैं.

यह परियोजना असम जल संसाधन विभाग से संबद्ध किए गए स्वायत्त निकाय असम बाढ़ एवं नदी कटाव प्रबंधन एजेंसी (FREMAA) और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) जो इस परियोजना के लिए निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसियां हैं , के संस्थागत क्षमता को विकसित करने में अपना सहयोग जारी रखेगी . यह ऋण 20 वर्ष के लिए होगा जिसमें 5 वर्षों की छूट-अवधि भी शामिल है.

उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार पर कार्यशाला

केंद्रीय जल आयोग के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 14 दिसंबर 2018 को "उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार" के विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला का प्रयोजन उत्तर प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र में पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने और न्यूनतम पानी के उपयोग के साथ अधिकतम उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए कार्ययोजना के सुझाव प्रस्तुत करना था. इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिभागियों को नामित किया गया था.

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों जैसे सिंचाई, कृषि बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कमान क्षेत्र विकास विभाग के अतिरिक्त क्षेत्र अधिकारी, अनुसंधान संस्थानों एवं सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के कई संस्थान जैसे जैन इंजीनियरिंग, कोल्हापुर, डब्लूओटीआर पुणे, वासर लैब्स, हैदराबाद, तहल इंडिया, पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन, एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन, नई दिल्ली ने इस कार्यशाला में भाग लिया.

'उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार' विषय पर कार्यशाला के प्रतिभागी

दूसरी सी डब्ल्यू एम ए बैठक

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडबल्यूएमए) की दूसरी बैठक 3 दिसंबर 2018 को श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग एवं अध्यक्ष, सीडब्ल्यूएमए की अध्यक्षता में संपन्न हुई. महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कावेरी बेसिन में जल वैज्ञानिक एवं जल मौसम संबंधी स्थिति, वित्त पोषण एवं लेखा व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना/सहायक कर्मचारी, सीडब्ल्यूएमए एवं सीडब्ल्यूआरसी के लिए सेवा नियम, सीडब्ल्यूएमए तथा सीडब्ल्यूआरसी के लिए कार्यालय स्थल की आवश्यकता, कावेरी बेसिन में संचार नेटवर्क, कार्य संचालन नियमों के अंतिम रूप एवं कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेदातू बैलेंसिंग जलाशय परियोजना की कार्यवाही की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया.

श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के. ज. आ , नई दिल्ली में के. ज. आ. (मुख्यालय) में दिनांक 3.12.18 को सीडब्ल्यूएमए की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए

सूखा आकलन

श्री देवेन्द्र फड़नवीस, महाराष्ट्र के माननीय सीएम ने नासिक में 6.12.18 को खरीफ सीजन में सूखे के मद्देनजर अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए . श्री आर.डी. देशपांडे, निदेशक, के. ज. आ., नागपुर आईएमसीटी के सदस्यों में से एक थे

श्री पुनीत कुमार मित्तल, निदेशक (एम एंड ए), के. ज. आ., जयपुर ने 16.12.18 से 19.12.18 के दौरान राजस्थान में खरीफ 2018 के दौरान सूखे के मद्देनजर स्थिति के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) में एक सदस्य के रूप में भाग लिया

पेंशन प्रबोधन प्रणाली

केन्द्रीय जल आयोग के सभी कर्मचारियों के पेंशन मामलों की स्थिति की निगरानी (देखरेख) हेतु केंद्रीय जल आयोग में एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने इसको 12.12.2018 को लांच किया.इस पेंशन प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से के. ज. आ. (मुख्यालय), के. ज. आ. के क्षेत्रीय संगठनों के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से पेंशनभोगी / सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा पेंशन मामलों की स्थिति पर नजर रखी सकती है.

12.12.18 को के. ज. आ. मुख्यालय में पेंशन निगरानी प्रणाली का उदघाटन

जलाशय प्रबोधन

केंद्रीय जल आयोग सप्ताहिक आधार पर देश भर के 91 जलाशयों की वर्तमान भंडारण स्थिति की देखरेख करता है और हर बृहस्पतिवार को इसका एक बुलेटिन जारी करता है. इन 91 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 161.993 घन किमी है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 घन किमी की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 63% है. जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 27 दिसंबर 2018 के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध वर्तमान भंडारण 86.373 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल वर्तमान धारण क्षमता का 53% है. यह पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान की वर्तमान भंडारण का 98% है और पिछले 10 वर्षों में औसत भंडारण का 93% है.

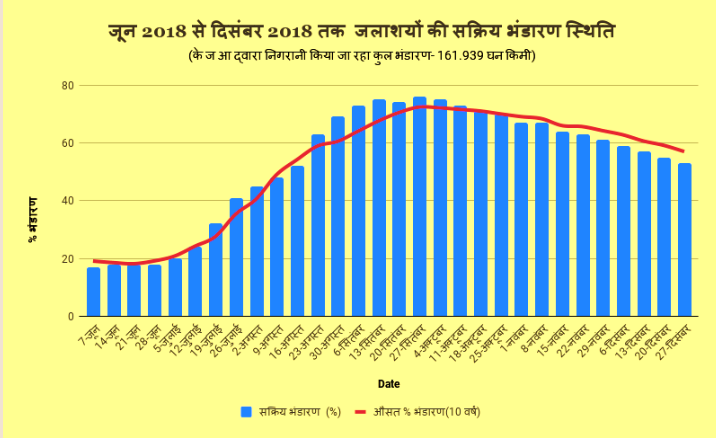

ग्लेशियर झील प्रबोधन

केंद्रीय जल आयोग, प्रत्येक वर्ष जून से अक्टूबर महीने के दौरान हिमालय क्षेत्र में उन ग्लेशियर झीलों (जीएल) और जल निकायों (डबल्यूबी) की निगरानी उपग्रह डाटा के माध्यम से करता है जिनका आकार 50 हेक्टेयर से अधिक है . इन्हें वर्ष 2009 में डिजिटल कर दिया गया और वर्ष 2009 में इनके आकार के सापेक्ष इनके वर्तमान आकार का विश्लेषण किया गया. क्लाउड मुक्त डाटा की उपलब्धता के कारण जी एल एवं डब्ल्यूबी की संख्याओं में विभिन्नता पाई गई. उनकी आकार भिन्नता के सारांश को सामने चार्ट में रेखांकित किया गया है. अक्टूबर 2018 महीने की विस्तृत जानकारी जिसमें कार्यप्रणाली, निष्कर्ष, इत्यादि उल्लिखित हैं निम्नलिखित वेबसाइट के यूआरएल से प्राप्त की जा सकती है.

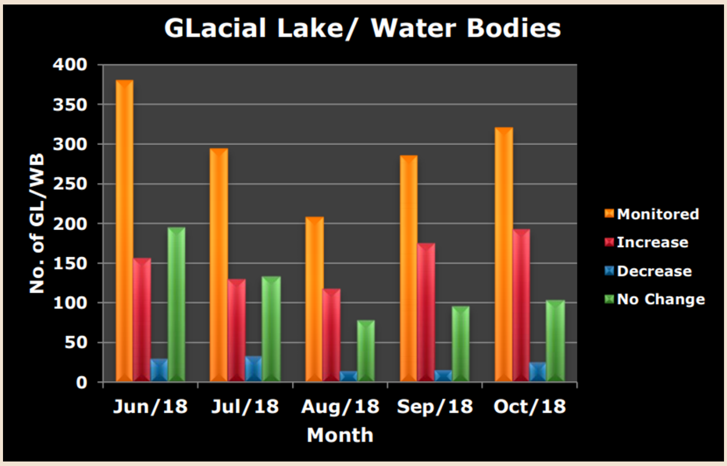

http://cwc.gov.in/main/downloads/CWC_lakes_monitor_report_October_2018.pdf

समाचार में जल क्षेत्र

- देश के प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में 2 फीसद की कमी (राष्ट्रीय सहारा, 01.12.2018)
- नेपाल की शराब फैक्ट्रियों से दूषित हो रहा भारतीय नदियों का पानी (राजस्थान पत्रिका, 02.12.2018)
- गंगा को गंदा कर रहीं सहायक नदियां (हिन्दुस्तान, 03.12.2018)
- देश की 62% नदियों का दम फूला (हिन्दुस्तान, 03.12.2018)
- महानदी जल विवाद : ओडिशा सरकार पहुंची ट्रिब्यूनल (पंजाब केसरी, 08.12.2018)
- रावी नदी पर बांध बनायेगी मोदी सरकार, घटेगा पाकिस्तान जाने वाला पानी (फोकस न्यूज, 10.12.2018)
- लोकसभा में रखे जा सकते हैं बांध सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण विधेयक (फोकस न्यूज, 12.12.2018)
- सरस्वती नदी की जांच करेंगे भाभा के वैज्ञानिक (दैनिक जागरण, 12.12.2018)
- भूजल स्तर गिरने से समिति चिंतित (हिन्दुस्तान, 14.12.2018)
- आंध्र में चक्रवात 'फेतई' से भारी बारिश (हिन्दुस्तान, 18.12.2018)
- चिंताजनक : यमुना को जहरीला बना रहे 52 हजार अवैध कारखाने (हिन्दुस्तान, 19.12.2018)
- बुंदेलखंड की चार नदियों का पानी जहरीला (पंजाब केसरी, 20.12.2018)
- गंगाजल की गुणवत्ता हर महीने परखी जायेगी (हिन्दुस्तान, 21.12.2018)
- गंगा मार्च 2020 तक निर्मल होगी (हिन्दुस्तान, 22.12.2018)
- नदियों को साफ रखने के लिए अब सेटेलाइट से होगी निगरानी (राजस्थान पत्रिका, 23.12.2018)

दीर्घा (गैलरी)

श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के. ज. आ., 1.12.18 को एएमयू, अलीगढ़ में "वैश्विक जल संकट: जलवायु परिवर्तन के युग में खाद्य सुरक्षा और कृषि" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान

श्री ए के जैन, निदेशक, के. ज. आ., इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 4.12.18 को सीआईआई द्वारा आयोजित उन्नत सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान देते हुए

श्री वाई के शर्मा, सदस्य (आरएम), के. ज. आ., 5.12.18 को गूगल के. ज. आ. सहयोग के तहत के. ज. आ., मुख्यलाय, नई दिल्ली में "सैटेलाइट डेटा एनालिसिस गूगल अर्थ इंजन" का उपयोग करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

श्री एस के हल्दर, सदस्य (डबल्यूपीएंडपी), के. ज. आ., थौबल परियोजना, मणिपुर के दौरे के बाद 6.12.18 को नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण निगरानी समिति (एनईएमसीआरवीपी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के. ज. आ., इंडिया वॉटर इंपैक्ट समिट (आईडबल्यूआईएस), 2018 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 7.12.18 को डेटा हार्मोनाइजेशन पर सत्र की अध्यक्षता करते हुए .श्री रवि शंकर, मुख्य अभियंता, के. ज. आ. ने आईडबल्यूआईएस में एक प्रस्तुति दी

श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (आईएमओ),के. ज. आ., 12.12.18 को के. ज. आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में कावेरी जल विनियमन समिति (सीडबल्यूआरसी) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए

श्री एन के माथुर, सदस्य (डी एंड आर), के. ज. आ. ने एनआईएच, रुड़की में 15.12.18 को "भारत में जल प्रबंधन पर परिप्रेक्ष्य और भविष्य की दिशा" पर मंथन सत्र में भाग लिया

श्री वाई के शर्मा, सदस्य (आरएम), के. ज. आ. और श्री भोपाल सिंह, मुख्य अभियंता (यूजीबीओ), लखनऊ ने 18.12.18 को अयोध्या स्थल पर एडीसीपी के माध्यम से डिस्चार्ज अवलोकन का निरीक्षण किया

श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के. ज. आ , एनआईटी, पटना द्वारा 19.12.18- 21.12.18 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-जल-2018 'का उद्घाटन करते हुए. जिसमें श्री राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष, तरुण भारत संघ भी उपस्थित थे

नवनियुक्त केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा “ समूह क’ अधिकारियों का 30वाँ आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में 6 माह की अवधि वाला 30 वाँ प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 28 दिसंबर 2018 को समाप्त हुआ. इस अवसर पर नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा विभिन्न गतिविधियां जैसे सांस्कृतिक प्रस्तुति और वृक्षारोपण किया गया. इसके बाद भारत दर्शन का कार्यक्रम होगा.

सेवानिवृत्ति

श्री वाई. के. शर्मा, सदस्य (नदी प्रबंधन), केंद्रीय जल आयोग, 31 दिसंबर 2018 को जल क्षेत्र में 36 वर्षों के सफल दीर्घावधि के पश्चात सेवानिवृत्त हुए. वे मार्च, 1982 में सहायक निदेशक के रूप में केंद्रीय जल आयोग से जुड़े. उन्होंने केंद्रीय जल आयोग, सी ई ए और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी. उन्होने भूटान में 2010 से 2018 के दौरान पुनात्सांग्चू-I जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं

इतिहास- आई सी आई डी, भारत एवं केंद्रीय जल आयोग

आई सी आई डी-सिंचाई एवं जल निकास पर अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1950 में की गई. यह एक अग्रणी वैज्ञानिक, तकनीकी, अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी, गैर सरकारी संस्थान है जिसका गठन सिंचाई, जल निकासी एवं बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में विश्व भर से विशेषज्ञों व पेशेवर से मिलकर हुई है. भारत आई सी आई डी का संस्थापक सदस्य है. आई सी आई डी का केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है और महासचिव की प्रत्यक्ष देखरेख एवं मार्गदर्शन में कार्य करता है.

भारत का आई सी आई डी में प्रतिनिधित्व सिंचाई एवं जल निकासी सहित सतही जल से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए भारत सरकार द्वारा गठित सतही जल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के माध्यम से होता है. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग आई एन सी एस डब्ल्यू के भी अध्यक्ष है जिसका सचिवालय केन्द्रीय जल आयोग में है. आई सी आई डी द्वारा भारत के समन्वय में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती है जैसे सतही जल से संबंधित समन्वित शोध जो विभिन्न संस्थाओं में जारी है . यह विभिन्न संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/ कार्यशाला इत्यादि आयोजित करता है और इसका एक आगामी कार्यक्रम 16-18 जनवरी 2019 को 9वां अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन है.

इसके अतिरिक्त, आई सी आई डी में स्थापना काल से ही केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों सहित कई भारतीय शामिल थे जिन्होंने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव के रूप में कार्य किया. **केंद्रीय जल आयोग के प्रथम अध्यक्ष, डॉ ए एन खोसला** 1950-54 **के दौरान आई सी आई डी के संस्थापक अध्यक्ष थे.**

केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न अध्यक्ष जैसे श्री कंवर सेन (1954-57), डॉ एम आर चोपड़ा (1966-69), श्री एस के जैन (1970-73), श्री सी सी पटेल (1976-79), डॉ एम एस रेड्डी (1991-94), श्री रमेश चंद्र (1994-97), श्री आर जयसीलन (2003-06), श्री ए के बजाज (2009-12), इं. ए बी पांडया (2013-16) ने आई सी आई डी के उपाध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी हैं . केंद्रीय जल आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष जैसे डॉ एम ए चितले, डॉ सी डी थट्टे एवं केंद्रीय जल आयोग अधिकारी श्री अविनाश त्यागी ने आई सी आई डी के महासचिव के रूप में कार्य किया है . वर्तमान महासचिव श्री ए बी पांडया ने 2013-15 के दौरान केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया.

श्रद्धांजलि

श्री ए एस पी सिन्हा, अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, का दिनांक 3 दिसंबर 2018 को स्वर्गवास हो गया. उन्होंने मई 1985 को सहायक निदेशक के रूप में केंद्रीय जल आयोग में कार्यभार ग्रहण किया था और 33 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी. वह 2018 में अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के रूप में पदोन्नत हुए. उनकी मृत्यु जल क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) नई दिल्ली के पदाधिकारियों द्वारा एवं साथ ही माननीय मंत्री, आंध्र प्रदेश व अन्य के द्वारा हैदराबाद में श्रद्धांजलि दी गई.

प्रकाशक :
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,
भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

CWC.GOV.IN
CWCOfficial.GoI
CWCOfficial_GoI
CWCOfficialGoI